

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1397
बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने हेतु प्रोत्साहन

1397. डॉ. कडियम काट्यः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार विद्युत कंपनियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और इसे और अधिक अपनाने हेतु प्रोत्साहित कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या रूफटॉप सौर ऊर्जा अवसंरचना में निवेश करने के लिए विद्युत कंपनियों हेतु कोई विशेष वित्तपोषण तंत्र अथवा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने रूफटॉप सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो इन जागरूकता अभियानों में विद्युत कंपनियाँ किस प्रकार शामिल हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) में रूफटॉप सौर को बढ़ावा देना सुविधाजनक बनाने और इसे अपनाने में बढ़ोतरी करने के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। इस उद्देश्य से योजना के तहत कुल 4,950 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, इस योजना में सेवा शुल्क प्रदान करने, जागरूकता और आउटरीच के लिए सहायता, क्षमता निर्माण के लिए सहायता के प्रावधान हैं जो रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने में डिस्कॉमों को भी प्रोत्साहित करेंगे।

इसके अलावा, तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन की छूट, ऑटो लोड बढ़ाना, नेट-मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रूफटॉप सौर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट-मीटर की स्थापना को प्राथमिकता देना जैसे उपाय भी डिस्कॉमों द्वारा रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने में प्रोत्साहित कर रहे हैं।

- (ख) जी, नहीं। हालांकि, पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना करने वाले आवासीय उपभोक्ताओं के लिए 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर और 10 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से जमानत मुक्त ऋण का प्रावधान है।

- (ग) और (घ): मंत्रालय पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक जागरूकता और आउटरीच अभियान चला रहा है। इस अभियान में रेडियो जिंगल, नुक्कड़ नाटक, टेलीविजन पर प्रचार, थिएटरों में ऑडियो-विजुअल, वेबसाइट अभियान आदि शामिल हैं। राज्यों में योजना की कार्यान्वयन एजेंसियाँ होने के नाते डिस्कॉम आईईसी गतिविधियों के लिए एमएनआरई के साथ मिलकर काम करते हैं।
